

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2011—ज्येष्ठ 6, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

मध्यप्रदेश अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मई 2011

क्र. 2023-इक्कीस-अ (प्रा.)-शुद्धि-पत्र.— “मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 31 मार्च 2011 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश वेत (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उस शब्द के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आया है, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिया गया शब्द, पढ़ा जाए :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुआ शब्द	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह शब्द आया है		शुद्ध शब्द जो पढ़ा जाए
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1)	(2)	(3)	
क्रय पर कर	390(1)	18	क्रय पर कर,
रेस्ताराओं	390(1)	25	रेस्ताराओं
सदृश्य	390(1)	25	सदृश्य
“(त क)”	390(1)	27	“(त क)”

(1)	(2)	(3)	
अनुसूची 2	390(2)	17	अनुसूची-2
विनिर्दिष्ट	390(2)	17	विनिर्दिष्ट
होंगे.".	390(2)	25	होंगे."
"अनुसूची 2 में	390(2)	30	"अनुसूची-2 में
विनिर्दिष्ट माल"			विनिर्दिष्ट माल"
अनुसूची-दो	390(2)	31	अनुसूची-2
भाग तीन	390(3)	5	भाग-तीन
भीतर	390(3)	30	भीतर,
जाएगा.".	390(5)	23	जाएगा.";
और.".	390(6)	9	और"."
अनुसूची 1 का संशोधन	390(6)	पार्श्व शीर्ष	अनुसूची-1 का संशोधन
अनुसूची 1 में	390(6)	28	अनुसूची-1 में,—
सामने	390(6)	32	सामने,
अनुक्रमांक 58 के सम्मुख	390(7)	5	अनुक्रमांक 58 क के सम्मुख
अनुसूची 2	390(7)	12	अनुसूची-2
अनुसूची 2	390(7)	पार्श्व शीर्ष	अनुसूची-2
सामने	390(7)	13	सामने,
उनसे	390(7)	17	उससे
(छः)	390(8)	1	(छह)
में, सामने	390(8)	3	के सामने
3(ii)(a)	390(9)	10	3(ii)
Building	390(9)	21	Buildings
पंक्ति 27 से 30	390(9)	27 से 30	पंक्ति 27 से 30 के
लोप किया जाए			स्थान पर
			निम्नलिखित पढ़ा
			जाए :—
			(ii) for clause (ha),
			the following clause
			shall be substituted,
			namely—
			"(ha) "cooked food"
			means meals
			and snacks
			including tea
			and coffee
			prepared and
			served by hotels,
			restaurants and
			the like, or by
			caterer;".
service of such order,	390(11)	37	service or knowledge
possibility	390(13)	28	of such order,
			possibility

भाग ४ (ग)**अन्तिम नियम****जन सम्पर्क विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2011

क्रमांक एफ. 5-4-2011-जसं-24.—राज्य शासन, एतद्वारा राष्ट्रीय, राज्य और संभाग स्तरीय पत्रकारिता पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित अद्यतन नियमों को लागू करता है :—

मध्यप्रदेश राष्ट्रीय, राज्य और संभाग स्तरीय पुरस्कारों के नियम**माणिक चन्द्र बाजपेयी**

(ध्ययेनिष्ठ पत्रकारिता के लिये)

विद्यानिवास मिश्र पुरस्कार

(निर्माण और विकास गतिविधियों के लेखन में उल्लेखनीय योगदान के लिये)

गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार

(राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये)

1. वरिष्ठ पत्रकार से अभिप्राय 50 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु और कम से कम 20 वर्षीय पत्रकारिता के अनुभव से होगा.
2. आवेदक को प्रतिष्ठित समाचार-पत्र के संपादक/संपादकीय विभाग में निरन्तर कार्य करने का अनुभव हो. इसमें, ऐसे पत्रकार भी पात्र होंगे जो प्रिंट मीडिया में कार्य करने के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत हों अथवा कार्यरत रहे हों. पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से 40 वर्षों से सक्रिय पत्रकार भी विचार क्षेत्र में सम्मिलित किये जा सकेंगे.
3. प्रविष्टि के साथ संबंधित पत्रकार को कम से कम 20 कटिंग/कैप्सूल प्रस्तुत करना वांछनीय है.
4. पुरस्कार के लिये पात्र पत्रकार की अनुशंसा करने के लिये शासन द्वारा चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सदस्य होंगे.
5. पत्रकारिता पुरस्कार के लिये विज्ञापन प्रकाशित कर प्रविष्टियां आमंत्रित की जायेंगी.
6. चयन समिति प्राप्त प्रविष्टियों के अतिरिक्त स्वविवेक से जिन्हें वह उपयुक्त समझे, ऐसे अन्य पात्र पत्रकार का नाम भी विचार क्षेत्र में सम्मिलित कर सकेगी.
7. चयन समिति परीक्षणोपरान्त एकमत से एक पात्र पत्रकार को पुरस्कार प्रदान करने की अनुशंसा करेगी. चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा.
8. पुरस्कार की घोषणा, मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जायेगी. शासन की घोषणा तक समिति की अनुशंसा सर्वथा गोपनीय होगी.
9. उपयुक्त अवसर पर समारोह आयोजित कर पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे.
10. पुरस्कार के रूप में 2.00 लाख रुपये (रुपये दो लाख) शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.

**राज्य स्तरीय पुरस्कार
सत्यनारायण श्रीवास्तव**

1. इस पुरस्कार का नाम सत्यनारायण श्रीवास्तव राज्य स्तरीय पत्रकारिता पुरस्कार होगा.
2. यह राज्य स्तरीय पुरस्कार राजनैतिक रिपोर्टिंग के क्षेत्र में दिये गये उत्कृष्ट एवं दीर्घकालिक योगदान और अर्जित उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिये देय है.
3. पुरस्कार दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवाओं के लिये मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार को देय होगा. वरिष्ठ पत्रकार से अभिप्राय कम से कम 25 वर्षीय पत्रकारिता के अनुभाव से होगा.
4. आवेदक को राष्ट्रीय/प्रादेशिक प्रतिष्ठित समाचार-पत्र में राजनैतिक रिपोर्टिंग और डेस्क पर न्यूनतम 10 वर्ष का रिपोर्टिंग एवं लेखन का अनुभव हो. इसमें अर्हतानुसार ऐसे पत्रकार भी पात्र होंगे, जो प्रिंट मीडिया में कार्य करने के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत हों अथवा कार्यरत रहे हों.
5. प्रविष्टि के साथ संबंधित पत्रकार को कम से कम 20 कटिंग/कैप्सूल प्रस्तुत करना वांछनीय है.
6. पुरस्कार के लिये पात्र पत्रकार की अनुशंसा करने के लिये शासन द्वारा चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सदस्य होंगे.
7. पत्रकारिता पुरस्कार के लिये विज्ञापन प्रकाशित कर प्रविष्टियां आमंत्रित की जायेंगी.
8. चयन समिति, प्राप्त प्रविष्टियों के अतिरिक्त स्वविवेक से जिन्हें वह उपयुक्त समझे, अन्य पात्र पत्रकार का नाम विचार क्षेत्र में सम्मिलित कर सकेगी.
9. चयन समिति परीक्षणोपरान्त एकमत से एक पात्र पत्रकार को पुरस्कार प्रदान करने की अनुशंसा करेगी. चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा.
10. पुरस्कार की घोषणा, मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जायेगी. शासन की घोषणा तक समिति की अनुशंसा सर्वथा गोपनीय होगी.
11. पुरस्कार संचालनालय द्वारा उपयुक्त अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जायेगा.
12. पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र शाल एवं श्रीफल दिया जायेगा.

राज्य स्तरीय महेन्द्र चौधरी
फोटो पत्रकारिता पुरस्कार

1. इस पुरस्कार का नाम महेन्द्र चौधरी राज्य स्तरीय फोटो पत्रकारिता पुरस्कार होगा.
2. यह राज्य स्तरीय पुरस्कार फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिये गये उत्कृष्ट दीर्घकालिक योगदान और अर्जित उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिये देय होगा.
3. आवेदनकर्ता छाया चित्रकार की आयु 35 वर्ष अथवा उससे अधिक और कम से कम 5 वर्षीय छायांकन का अनुभव जरूरी होगा.
4. छाया चित्रकार का किसी संचार संस्थान में कार्यरत होना आवश्यक है. इसमें अर्हतानुसार ऐसे कैमरामेन भी पात्र होंगे, जो प्रिंट मीडिया में कार्य करने के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत हों.
5. प्रविष्टि के साथ संबंधित छाया चित्रकार/कैमरामेन को कम से कम 20 छायाचित्र/कैप्सूल प्रस्तुत करना वांछनीय है जिनका समाचार पत्रों/टेलिविजन नेटवर्क में प्रकाशन/प्रसारण हुआ हो. उनकी कतरनों/प्रसारित विज्युअल की प्रतियां संलग्न करना वांछनीय है.
6. पुरस्कृत और प्रविष्टि के साथ संलग्न सभी छायाचित्र/वीडियो क्लिपिंग्स जनसम्पर्क विभाग की संपत्ति होंगे, इन्हें वापस नहीं किया जायेगा. विभाग उनका उपयोग करने के लिये स्वतंत्र होगा.
7. पुरस्कार के लिये पात्र छाया चित्रकार/कैमरामेन की अनुशंसा करने के लिये शासन द्वारा चयन समिति का गठन किया जायेगा. जिसमें वरिष्ठ पत्रकार/छायाकार सदस्य होंगे.
8. फोटो पत्रकारिता पुरस्कार के लिये विज्ञापन प्रकाशित कर प्रविष्टियां आमंत्रित की जायेंगी.
9. चयन समिति प्राप्त प्रविष्टियों के अतिरिक्त स्वविवेक से जिन्हें वह उपयुक्त समझे अन्य पात्र छाया चित्रकार/कैमरामेन का नाम, विचार क्षेत्र में सम्मिलित कर सकेगी.
10. चयन समिति परीक्षणोपरान्त एकमत से एक पात्र छायाचित्रकार/कैमरामेन को पुरस्कार प्रदान करने की अनुशंसा करेगी. चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा.
11. पुरस्कार की घोषणा, मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जायेगी. शासन की घोषणा तक समिति की अनुशंसा सर्वथा गोपनीय होगी.
12. पुरस्कार संचालनालय द्वारा उपयुक्त अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जायेगा.
13. पुरस्कार के रूप में 1.00 लाख (एक लाख रुपये) प्रशस्ति पत्र, शाल एवं श्रीफल दिया जायेगा.

आंचलिक पत्रकारिता पुरस्कार—

1. स्वर्गीय शरद जोशी पुरस्कार
(भोपाल अंचल के लिये) (नर्मदापुरम सहित)
2. स्वर्गीय राहुल बारपुते पुरस्कार
(इन्दौर अंचल के लिये)
3. स्वर्गीय बनारसीदास चतुर्वेदी पुरस्कार
(रीवा अंचल के लिये) (शहडोल सहित)
4. स्वर्गीय रतनलाल जोशी पुरस्कार
(ग्वालियर अंचल के लिये)(मुरैना सहित)
5. स्वर्गीय जीवनलाल वर्मा विद्रोही पुरस्कार
(जबलपुर अंचल के लिये)
6. स्वर्गीय मास्टर बल्देव प्रसाद पुरस्कार
(सागर अंचल के लिये)
7. स्वर्गीय कन्हैयालाल वैद्य पुरस्कार
(उज्जैन अंचल के लिये)

1. प्रदेश के महानगरों दूर सुदूरवर्ती अंचलों में काम करने वाले पत्रकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों के नाम पर आंचलिक पत्रकारिता पुरस्कार, क्षेत्रवार स्थापित किये गये हैं :—
2. इन पुरस्कारों की राशि प्रति पुरस्कार रुपये 51,000/- (रुपये इक्यावन हजार) होगी, इस राशि के साथ सम्मान स्वरूप प्रशस्ति-पत्र, शाल एवं श्रीफल भी भेंट किया जायेगा.
3. पत्रकार से अभिप्राय पत्रकार को कम के कम 15 वर्ष पत्रकारिता में अनुभव होना चाहिए.
4. पत्रकारिता के अनुभव से अभिप्राय लगातार किसी राष्ट्रीय/ प्रादेशिक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक/संपादकीय विभाग/ संवाददाता के पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिये.
5. ऐसे पत्रकार जो वर्तमान में इलेक्ट्रानिक मीडिया से संबंध है भी पात्र होंगे. किन्तु उनका पत्रकारिता में अनुभव की अवधि कम से कम 20 वर्ष होगी.
6. प्रविष्टि प्रस्तुत करते समय संबंधित पत्रकार को कम से कम 20 कटिंग /कैप्सूल अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होंगे.
7. जिस क्षेत्र का पुरस्कार है, उसी अंचल के पत्रकार उस पुरस्कार के लिये प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकेंगे.
8. पुरस्कारों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जावेगा. चयन समिति को प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा, स्वविवेक से जिन्हें वह उपयुक्त समझे अन्य अनावेदक पात्र पत्रकार को पुरस्कार देने का भी निर्णय लेने का अधिकार विभाग/चयन समिति को होगा. समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य और अन्तिम होगा.
9. पुरस्कारों के चयन के लिये एक समिति का गठन होगा. समिति में कम से कम एक-एक सदस्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया से होगा. आयुक्त/संचालक जनसंपर्क और अपर संचालक जनसंपर्क समिति के पदेन सदस्य होंगे.
10. पुरस्कारों की घोषणा, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की जावेगी और उपयुक्त समारोह आयोजित कर यह पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लाजपत आहूजा, उपसचिव.